न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी

अक्षय गोदारा
आई.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
मैनुअल नं.01 / रेफरेंस / 2023 (GCMS No. 2023 / 60)	01.02.2023	29.07.2024

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, बून्दी (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

ग्राम पंचायत रामगंज जर्ये सरपंच ग्राम पंचायत रामगंज,
पंचायत समिति बून्दी, जिला बून्दी, (राजस्थान)

– अप्रार्थी

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82(2)
राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थी की ओर से श्री रामकैलाश नागर, एडवोकेट

निर्णय

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र तहसीलदार बून्दी द्वारा उपखण्ड अधिकारी बून्दी के माध्यम से अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि खसरा सं.157 / 1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा (वर्तमान खसरा सं. 663 / 157 रकबा 0.5383 हैक्टेयर) भूमि जर्ये नामान्तरकरण सं. 409 दिनांक 03.01.2002 ग्राम पंचायत रामगंज के खाते में दर्ज है। उक्त खसरा नम्बर के आंशिक भाग में मकान एवं दुकानें बनी हुई है। उक्त भूमि जिला कलक्टर बून्दी के आदेश संख्या 42 दिनांक 30.10.2001 एवं पत्र क्रमांक प.12–3(22)राजस्व / 2001 / 3542 दिनांक 26.11.2001 तथा तहसीलदार बून्दी के आदेश संख्या टीआरए / 1497 दिनांक 01.12.2001 से ग्राम पंचायत रामगंज को आवंटन हुई है। उक्त खसरा नम्बर की किस्म गे0मु0पाल दर्ज होने से प्रकरण अब्दुल रहमान से प्रभावित है तथा धारा 16 से प्रतिबंधित श्रेणी की है। अतः धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत रेफरेंस पेश किया गया है।

जिला कलेक्टर: बून्दी

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दायरा पंजिका क्रमांक 1/2023 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No. 2023/60 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। रेस्पो. वास्ते सुनवाई जरिये नोटिस आहूत किये गये तथा इस कार्यालय की पत्रावली संख्या प.12–3(22)राजस्व/2001 का निरीक्षण किया गया। अप्रार्थी जर्ये अधिवक्ता उपस्थित न्यायालय आकर अपना जवाब दिनांक 11.06.2024 को पेश किया जाकर उक्त आवंटन को निरस्त करने में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं होना प्रकट किया गया।

तत्पश्चात् बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि जिला कलक्टर बून्दी के आदेश सं. 42 दिनांक 30.10.2001 एवं पत्र कमांक प.12–3(22)राजस्व/2001/3542 दिनांक 26.11.2001 तथा तहसीलदार बून्दी के आदेश संख्या टीआरए/1497 दिनांक 01.12.2001 से ग्राम पंचायत रामगंज को आवंटन हुई है। उक्त आराजी वर्तमान में ग्राम पंचायत रामगंज के खाते में दर्ज है। खसरा संख्या 663/157 रकबा 0.5383 हैक्टेयर भूमि की किस्म गे0मु0पाल दर्ज होने से प्रकरण अब्दुल रहमान से प्रभावित है तथा धारा 16 से प्रतिबंधित श्रेणी की है। ऐसी स्थिति में धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पर ग्राम पंचायत रामगंज को दी गई खातेदारी निरस्त कर राजकीय सिवायचक गे0मु0पाल दर्ज किये जाने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल को भिवजाया जावें।

अप्रार्थी के अभिभाषक ने बहस के दौरान जवाब में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये अवगत कराया कि उक्त भूमि बाबत वर्तमान में कोई पट्टा जारी नहीं किया गया है, पूर्व में जारी किये गये पट्टों का रिकार्ड ग्राम पंचायत में नहीं है। अतः उक्त आवंटन को निरस्त किये जाने में ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं है।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध इस कार्यालय के आदेश संख्या 42 कमांक प.12–3(22)राजस्व/2001/3061–64 दिनांक 30.10.2001 के अवलोकन से जाहिर आया कि ग्राम रामगंज, तहसील बून्दी की आराजी खसरा सं. 166 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा किस्म बंजड, ख.सं. 181 रकबा 9 बीघा 11 बिस्वा किस्म बा0सो0 के साथ ही उक्त ख.सं. 157/1 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि आबादी विस्तार हेतु ग्राम पंचायत रामगंज को आवंटित हुई थी, जो नामान्तरकरण सं. 409 दिनांक 03.01.2002 से ग्राम पंचायत रामगंज के खाते

न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

जिला कलेक्टर, बून्दी

में दर्ज की गई। उक्त आवंटित भूमि खसरा संख्या 157 की किस्म गे0मु0 **पाल** दर्ज होने से प्रकरण अब्दुल रहमान से प्रभावित है तथा धारा 16 से प्रतिबंधित श्रेणी की है। माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी गै.मु. भूमि पर खातेदारी दिया जाना गलत माना है तथा राजस्व मण्डल अजमेर के पत्र संख्या 9213–9244 दिनांक 13.11.2007 में भी ऐसी भूमियों की खातेदारी निरस्त करने के निर्देश हैं। फलस्वरूप रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर भूमि खसरा संख्या 663/157 रकबा 0.5383 हैक्टेयर वाकेग्राम रामगंज पर अप्रार्थी ग्राम पंचायत रामगंज को दी गयी खातेदारी निरस्त कर भूमि सिवायचक किस्म गे.मु. पाल दर्ज करने हेतु प्रकरण राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स किया जाता है। पत्रावली फैसले में शुमार होकर राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 29.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी